

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 8 मई 2017

क्रमांक एफ 7-17/2015/18-5, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश राजपत्रित (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) सेवा भरती नियम, 1977 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, विद्यमान अनुसूची-एक, दो, तीन तथा चार के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

"अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिए)

वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	पर्यावरण आयुक्त	1	राजपत्रित प्रथम श्रेणी(सेवा)	कैडर वेतन+विशेष वेतन	
2.	आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश	1	-तदैव-	कैडर वेतन+विशेष वेतन	
3.	अपर संचालक	2	-तदैव-	37400-67000+ग्रेड वेतन 8700/-	
4.	संयुक्त संचालक	11	-तदैव-	15600-39100+ग्रेड वेतन 7600/-	
5.	उप संचालक (योजना)	15	-तदैव-	15600-39100+ग्रेड वेतन 6600/-	
6.	उप संचालक (सर्वे प्रोजेक्ट)	2	-तदैव-	15600-39100+ग्रेड वेतन 6600/-	
7.	उप संचालक (रिसर्च)	1	-तदैव-	15600-39100+ग्रेड वेतन 6600/-	
8.	उप संचालक (स्थापना)	1	-तदैव-	15600-39100+ग्रेड वेतन 6600/-	
9.	लेखाधिकारी	1	राजपत्रित प्रथम श्रेणी (प्रतिनियुक्ति)	15600-39100+ग्रेड वेतन 6600/-	

10.	सहायक संचालक (स्था.)	1	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	15600-39100+ग्रेड वेतन 5400/-	
11.	सहायक संचालक (योजना)	26	-तदैव-	15600-39100+ग्रेड वेतन 5400/-	
12.	सहायक संचालक (सर्वे/प्रोजेक्ट)	7	-तदैव-	15600-39100+ग्रेड वेतन 5400/-	
13.	सहायक संचालक (रिसर्च)	5	-तदैव-	15600-39100+ग्रेड वेतन 5400/-	
14.	कनिष्ठ लेखाधिकारी	1	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी (प्रतिनियुक्ति)	15600-39100+ग्रेड वेतन 5400/-	
15.	संपरीक्षक (आडीटर)	1	-तदैव-	15600-39100+ग्रेड वेतन 5400/-	

अनुसूची-दो
(नियम 6 देखिए)
भरती का तरीका

विभाग का नाम	सेवा का नाम	पद का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या की प्रतिशतता		
				सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6 (क))	सेवा के सदस्यों से पदोन्नति द्वारा (नियम 6(ख))	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा (नियम 6 (ग))
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
नगरीय विकास एवं आवास विभाग	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश राजपत्रित प्रथम-श्रेणी सेवाएं	(1) पर्यावरण आयुक्त	1	-	-	भारतीय प्रशासनिक सेवाएं।
		(2) आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश	1	-	-	अधिनियम की धारा 3 (1) के अनुसार
		(3) अपर संचालक	2	-	100 प्रतिशत	
		(4) संयुक्त संचालक	11	-	100 प्रतिशत	
		(5) उप संचालक (योजना)	15	-	100 प्रतिशत	
		(6) उप संचालक (सर्वे/ प्रोजेक्ट)	2	-	100 प्रतिशत	
		(7) उप संचालक (रिसर्च)	1	-	100 प्रतिशत	
		(8) उप संचालक (स्थापना)	1	-	100 प्रतिशत	

		(9) लेखाधिकारी	1	-	-	संचालनालय कोष एवं लेखा से प्रतिनियुक्ति
	द्वितीय श्रेणी	(10) सहायक संचालक (योजना)	26	50 प्रतिशत	10 प्रतिशत ऐसे मानचित्रकार जिन्होंने सेवा में आने के पूर्व डिप्लोमा / उपाधि प्राप्त कर ली हो (वास्तुकला / सिविल यांत्रिकी में डिप्लोमा या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से योजना में उपाधि)। -5 प्रतिशत ऐसे मानचित्रकार जिन्होंने सेवा में आने के पश्चात् डिप्लोमा / उपाधि प्राप्त की हो (वास्तुकला / सिविल यांत्रिकी में डिप्लोमा या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से योजना में उपाधि)। -35 प्रतिशत मानचित्रकार संवर्ग से पदोन्नति	
		(11) सहायक संचालक (सर्वे/प्रोजेक्ट)	7	50 प्रतिशत	10 प्रतिशत ऐसे उपयंत्री जिन्होंने सेवा में आने के	

					पूर्व या पश्चात् डिप्लोमा / उपाधि प्राप्त कर ली हो (सिविल यांत्रिकी में डिप्लोमा) -10 प्रतिशत ऐसे उपयंत्री जिन्होंने सेवा में आने के पूर्व या पश्चात् उपाधि प्राप्त की हो (मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल यांत्रिकी में उपाधि)। -30 प्रतिशत सिविल यांत्रिकी संवर्ग से पदोन्नति	
		(12) सहायक संचालक (रिसर्च)	5	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	
		(13) सहायक संचालक (स्थापना)	1	-	100 प्रतिशत	
		(14) कनिष्ठ लेखाधिकारी	1	-	-	संचालनालय कोष एवं लेखा से प्रतिनियुक्ति
		(15) संपरीक्षक (आडीटर)	1	-	-	संचालनालय कोष एवं लेखा से प्रतिनियुक्ति

अनुसूची-तीन
(नियम 8 देखिए)

सीधी भरती के लिए आवश्यक अर्हता तथा आयु सीमा

विभाग का नाम	सेवा का नाम	सेवा में पदों के नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हता में प्रस्तावित परिवर्तन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नगरीय विकास एवं आवास विभाग	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश, राजपत्रित (द्वितीय श्रेणी) सेवा	(1) सहायक संचालक (योजना)	21 वर्ष	40 वर्ष	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से योजना में स्नातक या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से नगर निवेश/क्षेत्रीय निवेश/यातायात एवं परिवहन/भू-दृश्य वास्तुकला/नगर/रूपांकन/आवास निर्माण/पर्यावरण निवेश में स्नातकोत्तर उपाधि।
		(2) सहायक संचालक (सर्वे/प्रोजेक्ट)	21 वर्ष	40 वर्ष	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल यांत्रिकी में स्नातक उपाधि।
		(3) सहायक संचालक (रिसर्च)	21 वर्ष	40 वर्ष	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र/भूगोल/सांख्यिकी/गणित/वाणिज्य/सामाजिक विज्ञान में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि।

अनुसूची-चार

(नियम 14 देखिए)

पदोन्नति के लिए अपेक्षित अनुभव तथा अर्हता

विभाग का नाम	सेवा का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है।	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है।	विभागीय पदोन्नति के लिए अपेक्षित अनुभव तथा अर्हता।		विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
				अनुभव	अर्हता	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
नगरीय विकास एवं आवास विभाग	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (राजपत्रित प्रथम एवं	(1) संयुक्त संचालक	प्रथम श्रेणी अपर संचालक	संयुक्त संचालक के रूप में लगातार 7 वर्ष की सेवा	नगर निवेश/क्षेत्रीय निवेश/यातायात एवं परिवहन/भू-दृश्य वास्तुकला/नगर	1. लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा

	द्वितीय श्रेणी सेवाएँ)				रूपांकन/ आवास/ पर्यावरण निवेश में स्नातकोत्तर उपाधि।	नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति— अध्यक्ष। 2. प्रमुख सचिव/ सचिव, नगरीय विकास तथा आवास विभाग— सदस्य। 3. संचालक/ उपर संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग— सदस्य। 4. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति से संबंधित समकक्ष नामनिर्दिष्ट अधिकारी— सदस्य।
		(2) उप संचालक (योजना)	संयुक्त संचालक	उप संचालक के रूप में लगातार 7 वर्ष की सेवा	नगर निवेश/ क्षेत्रीय निवेश / यातायात एवं परिवहन/ भू-दृश्य वास्तुकला / नगर रूपांकन/ आवास/ पर्यावरण निवेश में स्नातकोत्तर उपाधि	—तदैव—
		(3) उप संचालक (सर्वे/ प्रोजेक्ट)	संयुक्त संचालक	उप संचालक के रूप में लगातार 7 वर्ष की सेवा	नगर निवेश/ क्षेत्रीय निवेश / यातायात एवं परिवहन/ भू-दृश्य वास्तुकला / नगर रूपांकन/ आवास	—तदैव—
		(4) उप संचालक (रिसर्व)	संयुक्त संचालक	उप संचालक के रूप में लगातार 7 वर्ष की सेवा	पर्यावरण निवेश में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष नगर निवेश/ क्षेत्रीय निवेश / यातायात एवं परिवहन/ भू-दृश्य वास्तुकला / नगर रूपांकन / आवास / पर्यावरण निवेश में स्नातकोत्तर उपाधि।	—तदैव—

		द्वितीय श्रेणी (5) सहायक संचालक (योजना)	उप संचालक (योजना)	सहायक संचालक के रूप में लगातार 7 वर्ष की सेवा	-निरंक-	-तदैव-
		(6) सहायक संचालक (सर्वे / प्रोजेक्ट)	उप संचालक (सर्वे / प्रोजेक्ट)	सहायक संचालक के रूप में लगातार 7 वर्ष की सेवा	-	-तदैव-
		(7) सहायक संचालक (रिसर्च)	उप संचालक (रिसर्च)	सहायक संचालक के रूप में लगातार 7 वर्ष की सेवा	-	-तदैव-
		(8) सहायक संचालक (स्थापना)	उप संचालक (स्थापना)	सहायक संचालक के रूप में लगातार 7 वर्ष की सेवा	-	-तदैव-
		तृतीय श्रेणी अराजपत्रित (9) मानचित्रकार	द्वितीय श्रेणी राजपत्रित सहायक संचालक (योजना)	मानचित्रकार के रूप में लगातार 7 वर्ष की सेवा।	-	-तदैव-

		(10) उपयंत्री	सहायक संचालक (सर्वे / प्रोजेक्ट)	उपयंत्री के रूप में लगातार 7 वर्ष की सेवा।	-	-तदैव-
		(11) वरिष्ठ सहायक रिसर्च	सहायक संचालक (रिसर्च)	वरिष्ठ रिसर्च सहायक के रूप में 7 वर्ष की लगातार सेवा।	-	-तदैव-
		(12) अधीक्षक	सहायक संचालक (स्थापना)	अधीक्षक के रूप में लगातार 7 वर्ष की सेवा।	स्नातक एवं लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण।	-तदैव-

F 7-17/2015/18-5. In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Town and Country Planning (Class-I and Class-II) Service Recruitment Rules, 1977, namely:-

AMENDMENTS

In the said Rules, for existing Schedule I, II, III and IV, the following schedules shall be substituted namely:-

“SCHEDULE –I

(See Rule-5)

Classification, Scale of Pay and Number of posts included in the service.

Sl. No.	Name of the posts included in service	No. of posts	Classification	Scale of pay	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Environment Commissioner	1	Gazetted Class one (service)	Cadre pay +Spl. Pay	
2.	Commissioner cum Director, Town and Country Planning	1	-do-	Cadre pay +Spl. Pay-	
3.	Additional Director	2	-do-	37400-67000+GP 8700/-	
4.	Joint Director	11	-do-	15600-39100+GP 7600/-	
5.	Deputy Director (Planning)	15	-do-	15600-39100+GP 6600/-	
6.	Deputy Director (Survey Project)	2	-do-	15600-39100+GP 6600/-	
7.	Deputy Director (Research)	1	-do-	15600-39100+GP 6600/-	
8.	Deputy Director (Esstt.)	1	-do-	15600-39100+GP 6600/-	
9.	Accounts Officer	1	Gazetted Class-one (Deputation)	15600-39100+GP 6600/-	
10.	Assistant Director (Estt.)	1	Gazetted Class-two	15600-39100+GP 5400/-	
11.	Assistant Director (Planning)	26	-do-	15600-39100+GP 5400/-	
12.	Assistant Director (Survey/Project)	7	-do-	15600-39100+GP 5400/-	
13.	Assistant Director (Research)	5	-do-	15600-39100+GP 5400/-	
14.	Junior Accounts Officer	1	Gazetted Class-two (Deputation)	15600-39100+GP 5400/-	
15.	Auditor	1	-do-	15600-39100+GP 5400/-	..”

SCHEDULE -II
(See Rule 6)
Method of Recruitment

Name of Department	Name of service	Name of post	Total no of Posts	Percentage of the No. of duty posts to be filled in		
				By Direct recruitment (rule 6 (a))	By promotion of members of the service (rule 6 (b))	By transfer of persons from other services (rule 6 (c))
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Urban Development and Housing Department	M.P. Town & Country Planning Gazetted Class-I services	(1) Environment Commissioner	1			Indian Administrative services
		(2) Commissioner cum Director, Town & Country Planning	1	-	-	As per Section 3 (1) of The Act
		(3) Additional Director	2	-	100%	-
		(4) Joint Director	11	-	100%	-
		(5) Deputy Director (Planning)	15	-	100%	-
		(6) Deputy Director (Survey/Project)	2	-	100%	-
		(7) Deputy Director (Research)	1	-	100%	-
		(8) Deputy Director (Esstt.)	1	-	100%	-
		(9) Accounts Officer	1	-	-	Deputation from Directorate Treasury and Accounts
	Class -II	(10) Assistant. Director (Planning)	26	50%	50% Draftsmen who Possessed Diploma /Degree before joining their post (Diploma in Architecture/Civil Engineering OR Degree in Planning from a recognized University) -5% Draftsmen who Procured Diploma/Degree After joining their post (Diploma in Architecture/Civil Engineering OR Degree in Planning from a recognized University) -35% Promotion from Draftsmen Cadre	
		(11) Assistant Director		50%	50%	

		(Survey/Project)			10% Those Sub-Engineers who Procured Diploma before or after joining their post (Diploma in Civil Engineering) 10% Those Sub-Engineers who procured Degree before or after joining their post (Degree in Civil Engineering from recognized University) 30% Promotion from Sub Engineer Cadre	
		(12) Assistant Director (Research)	5	50%	50%	-
		(13) Assistant Director (Esstt.)	1	-	100%	-
		(14) Junior Accounts Officer	1	-	-	Deputation From Directorate of Treasury and Accounts
		(15) Auditor	1	-	-	Deputation From Directorate of Treasury and Accounts

SCHEDULE -III

(See Rule 8)

Essential qualification and age limit of direct recruitment

Name of Deptt.	Name of service	Name of posts in the service	Minimum Age Limit	Upper Age Limit	Proposed change in Minimum Educational qualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Urban Development and Housing Department	M.P. Town and Country Planning Gazetted (Class-II) services	(1). Assistant Director (Planning)	21 Years	40 Years	Graduation in Planning from any recognized University OR Post graduate degree in Town planning/Regional Planning/Traffic and Transportation /Land scape Architecture/ Urban Design /Housing /Environment Planning from a recognized university.
		(2) Assistant Director (Survey/Project)	21 years	40 years	Graduate Degree in Civil Engineering from a recognized University
		(3) Assistant Director (Research)	21 Years	40 years	IIInd Class Master degree in Economics/Geography/ Statistics/ Mathematics/ Commerce/Sociology from a recognized University.

SCHEDULE -IV**(See Rule 14)****Experience and the qualification required for promotion**

Name of Department	Name of service	Name of post from which promotion is to be made	Name of post to which promotion is to be made	Experience and the qualification required from Departmental promotion		Name of members of the departmental promotion committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Urban Development and Housing Department	M.P. Town and Country Planning (Gazetted Class I and II services)	(1) Joint Director	Class Additional Director	7 years of continuous service as Joint Director	Post graduate degree in Town Planning/Regional Planning/Traffic & Transportation/ Land Scape architecture/Urban Design/Housing/Environment Planning.	1. Chairman of P.S.C. -or- any person nominated by him- Chairperson. 2. Principal Secretary/Secretary, Urban development & Housing Department- Member. 3. Director/Additional Director, Town and Country Planning, Department. - Member 4-Equivalent nominated officer belonging to S.C. / S.T.category.- member
		(2) Deputy Director, (Planning)	Joint Director	7 years of continuous service as Deputy Director	Post graduate degree in Town Planning/Regional Planning/Traffic & Transportation/Land scape Architecture/Urban Design/Housing/Em	-do-
		(3) Deputy Director (Survey/Project)	Joint Director	7 years of continuous service as Deputy Director	Post graduate degree in Town Planning/Regional Planning/Traffic and Transportation/Land scape Architecture/ Urban Design/Housing/Environment Planning or equivalent.	-do-
		(4) Deputy Director (Research)	Joint Director	7 years of continuous service as Deputy Director	Post graduate degree in Town Planning/Regional Planning/Traffic and Transportation/Land scape Architecture/ Urban Design/Housing/Environment Planning or equivalent.	-do-

		Class II (5) Assistant Director (Planning)	Deputy Director, (Planning)	7 years of continuous service as Assistant Director	Nil	-do-
		(6) Assistant Director (Survey/Project)	Deputy Director (Survey/Project)	7years of continuous service as Assistant Director		-do-
		(7) Assistant Director (Research)	Deputy Director (Research)	7 years of continuous service as Assistant Director		-do-
		(8) Assistant Director (Establishment)	Deputy Director (Establishment)	7 years of continuous service as Assistant Director		-do-
		Class III <u>Non Gazetted</u> (9) Draftsman	Class II <u>Gazetted</u> Assistant Director (Planning)	7 years of continuous Service as Draftsman		-do-
		(10) Sub Engineer	Assistant Director (Survey/Project)	7 years of continuous Service as Sub Engineer		-do-
		(11) Senior Research Assistant	Assistant Director (Research)	7years of continuous Service as Senior Research Assistant		-do-
		(12) Superintendent	Assistant Director (Estt.)	7 years of continuous Service as Superinten dent	Graduate and Accounts training pass	-do-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजीव शर्मा, अपर सचिव.